स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण – 2018

1. पृष्ठभूमि :

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018'** का आयोजन किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण राष्ट्र के समस्त जिलों में भारत सरकार द्वारा चयनित स्वतंत्र सर्वेक्षण संस्थाओं के माध्यम से किया जावेगा। सर्वेक्षण के दौरान स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) यथा सार्वजनिक स्थानों उदाहरणार्थ शाला, आंगनबाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाट–बाजार, ग्राम पंचायत आदि का सर्वेक्षण, स्वच्छता के विषय पर समुदाय की समझ एवं स्वच्छता की स्थिति बेहतर बनाने के संबंध में समुदाय की सिफारिशों तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम पर दर्ज आंकड़ों आदि की वस्तु स्थितियों के आधार पर समस्त जिलों की रैंकिंग की जावेगी। सर्वेक्षण के आधार पर जिलों एवं राज्यों में स्वच्छता एवं साफ–सफाई की स्थिति के रैंकिंग की जावेगी। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों एवं जिलों को 02 अक्टूबर, 2018 को पुरस्कृत किया जावेगा।

2. उद्देश्य :

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मुख्य मापदंडों (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शनों के आधार पर राज्यों एवं जिलों की रैंकिंग का निर्धारण।
2. समग्र एवं सशक्त प्रचार–प्रसार अभियान के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को स्वच्छता की स्थिति बेहतर बनाने में सम्मिलित करना।
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मुख्य मापदंडों पर राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर जिलों के प्रदर्शन की तुलना।
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का क्रियान्वयन करने वाले समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों यथा शाला, आंगनबाड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाट–बाजार में सैंपल सर्वेक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर पर स्वच्छता का विकास सुनिश्चित करना।
5. कार्यक्रम के क्रियान्वयन को बेहतर बनाए जाने के लिए प्रत्येक जिले में चयनित ग्राम पंचायतों एवं नागरिकों को सम्मिलित करना एवं उनसे उनके अनुभव एवं सुझाव प्राप्त करना।

3.सर्वेक्षण का क्षेत्र :

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण–2018 हेतु निम्नानुसार क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जावेगा:–

सर्वेक्षण के घटक :

प्राथमिक सर्वेक्षण:

गतिविधि–01
प्रत्यक्ष अवलोकन
(सार्वजनिक स्थल)

– शासकीय शाला
– आंगनबाड़ी केन्द्र
– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
– पंचायत भवन
– हाट / बाजार / धार्मिक स्थल आदि

5 प्रति ग्राम

गतिविधि–02 अ
प्रभावशील व्यक्तियों के फिडबैक

– सरपंच
– सचिव – स्वच्छाग्रही
– ग्राम पंचायत के सदस्य / निगरानी समिति के सदस्य / आंगनवाडी कार्यकर्ता / मितानिन / शिक्षक

3–4 प्रति ग्राम

गतिविधि–02 ब
नागरिकों के फीडबैक

– सामान्य नागरिकों के साथ समूह बैठको के माध्यम से ।

7–8 प्रति ग्राम

द्वित्तीय सर्वेक्षण:

गतिविधि–03
Service Level Progress Indicators

– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम पर उपलब्ध आंकडे ।
– शौचालयों की उपलब्धता के आकडे ।
–ग्राम पंचायत के सदस्यों से प्राप्त आंकडे ।

जिले के सभी ग्राम

3.1 सैंपल निर्धारण :

(अ) सैंपल हेतु लिए जाने वाले ग्रामों का निर्धारण 03 जुलाई, 2018 की स्थिति में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के वेबसाईट पर आंकडों के आधार पर किया जावेगा।

(ब) **ग्रामों का चयन** :– प्रत्येक जिले से औसतन 10 ग्रामों (7 से 16 ग्राम) का चयन जिलों में परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित है। सर्वेक्षण हेतु ग्रामों का चयन एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आकस्मिक तौर पर किया जावेगा।

3.2– जिलों की रैंकिंग :

जिलों की रैंकिंग, सर्वेक्षण के दौरान स्वच्छता के विभिन्न मापदंडों (मात्रात्मक एवं गुणात्मक) पर उनके प्रदर्शन के आधार पर की जावेगी। रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण के परिणामों का महत्व 70 प्रतिशत एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की वेबसाईट पर दर्ज आंकड़ों का महत्व 30 प्रतिशत होगा।

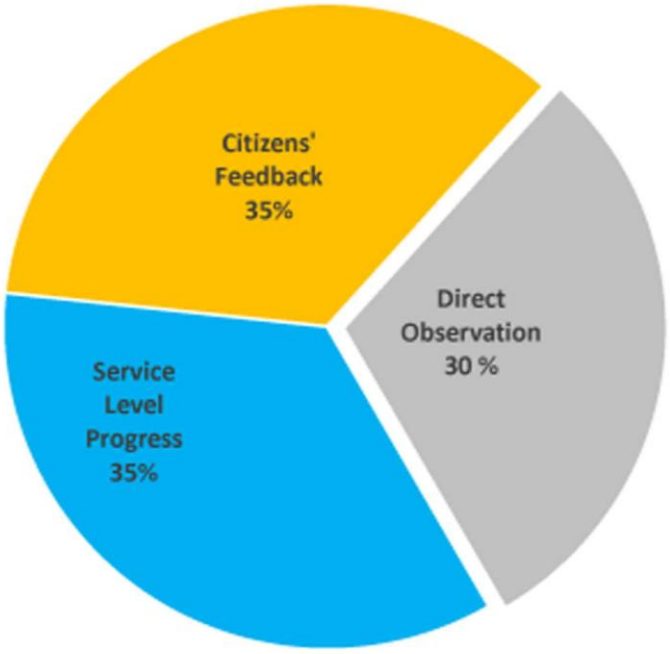

3.2.1–प्रत्यक्ष अवलोकन 30 % :

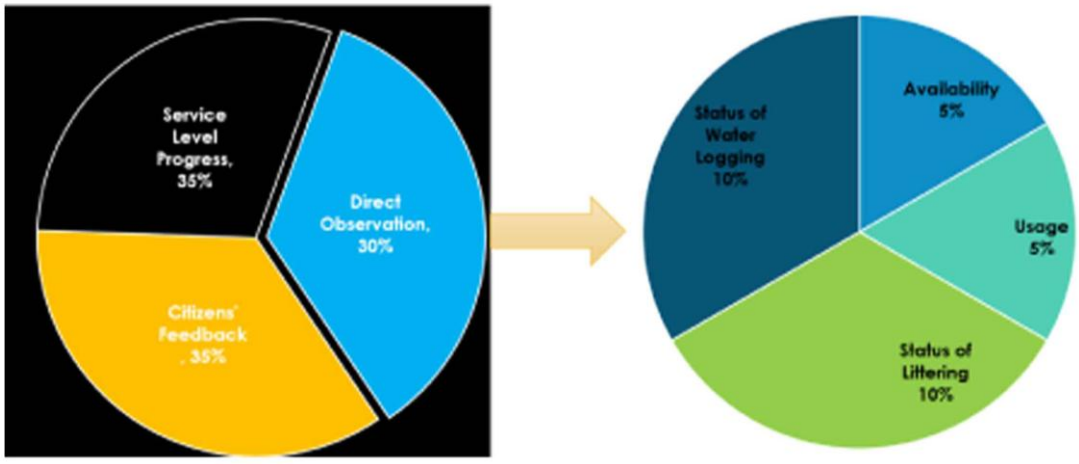

प्रत्यक्ष अवलोकन हेतु निम्नलिखित स्थलों का चयन किया जावेगाः–

- ग्राम में स्थित शाला
- ग्राम में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र
- ग्राम में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- पंचायत भवन
- ग्राम में स्थित हाट/बाजार
- धार्मिक स्थल
- अन्य

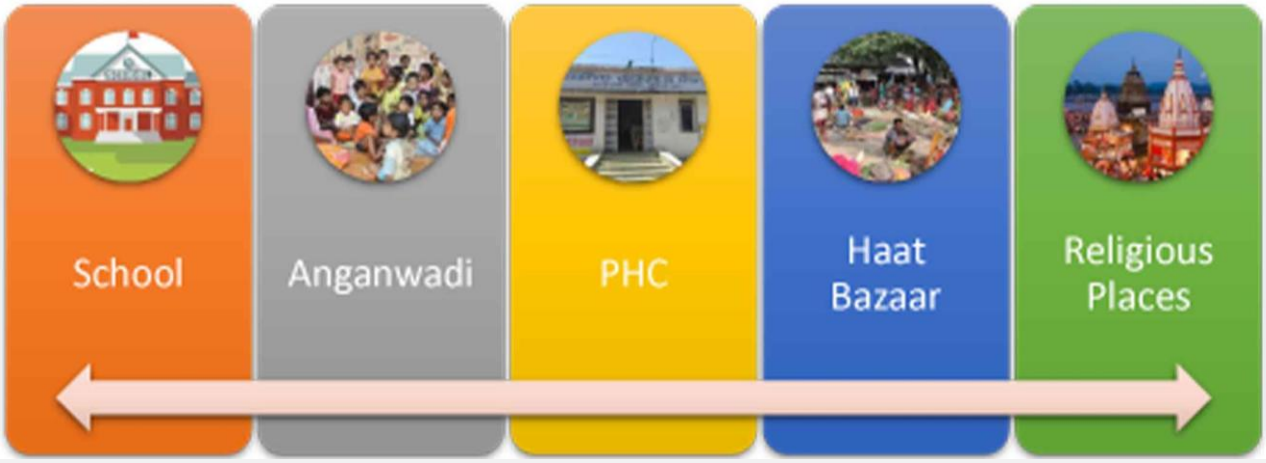

प्रत्यक्ष अवलोकन

- सार्वजनिक स्थलों पर जलभराव की स्थिति नही होने पर :– 10 %
- स्वच्छता सुविधाओं (शौचालय) की उपलब्धता की स्थिति :– 05 %
- स्वच्छता सुविधाओं (शौचालय) की उपयोग की स्थिति :– 05 %
- सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े–कचरा फेके जाने की स्थिति :– 10 %

निर्धारित प्राप्तांक :–

स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग (5)	
रैकिंग पद्यति का विवरण	महत्व
समस्त 05 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय का उपयोग	5
04 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय का उपयोग	4
03 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय का उपयोग	3
02 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय का उपयोग	2
01 सार्वजनिक स्थल पर शौचालय का उपयोग	1

सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों/यंत्रों का उपयोग किया जावेगा। क्षेत्र भ्रमण के साक्ष्य संग्रहित करने हेतु छायाचित्र एवं चलचित्र (फोटो एवं वीडियो) भी संग्रहित किए जावेंगे।

प्रत्यक्ष अवलोकन के विभिन्न घटकों हेतु मापदंड एवं प्राप्तांक निम्नानुसार होंगेः–

स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता (5)	
रैकिंग पद्यति का विवरण	महत्व
समस्त 05 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की उपलब्धता	5
04 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की उपलब्धता	4
03 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की उपलब्धता	3
02 सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की उपलब्धता	2
01 सार्वजनिक स्थल पर शौचालय की उपलब्धता	1
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शौचालय का नहीं होना	0

सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा फेके जाने की स्थिति (10)	
रैकिंग पद्यति का विवरण	महत्व
समस्त 05 सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	10
04 सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	8
03 सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	6
02 सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	4
01 सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	2
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा–कचरा फेंका जाना न्यूनतम स्थिति में नहीं पाया जाना।	0

सार्वजनिक स्थलों पर जलभराव (गंदे पानी की निकासी)की स्थिति (10)	
रैकिंग पद्यति का विवरण	महत्व
समस्त 05 सार्वजनिक स्थलों पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	10
04 सार्वजनिक स्थलों पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	8
03 सार्वजनिक स्थलों पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	6
02 सार्वजनिक स्थलों पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	4
01 सार्वजनिक स्थल पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में पाया जाना	2
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदे पानी का जमाव न्यूनतम स्थिति में नहीं पाया जाना	0

3.2.2–आम नागरिकों के फीडबैक :– 35 %

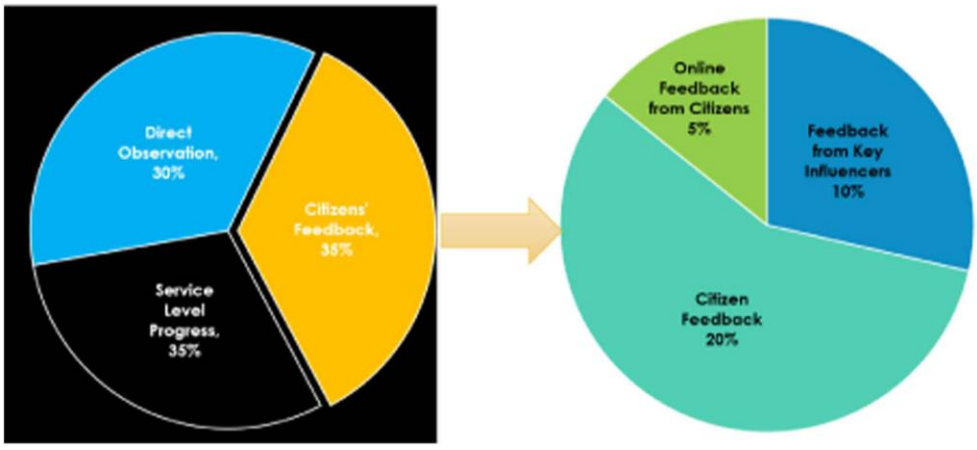

नागरिकों के फीडबैक हेतु निम्न गतिविधियों का आयोजन किया जावेगाः–

- ग्राम की बैठक
- समूह चर्चा Focus group discussion
- व्यक्तिक साक्षात्कार
- Online app क माध्यम से फीडबैक

बैठकों के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझावात्मक बिन्दुओं पर चर्चा होगी:–

- ग्राम में स्वच्छता की सामान्य स्थिति।
- ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान हेतु किए गए उपाय
- तरल अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान हेतु किए गए उपाय
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत नवोन्मेषी प्रयास

3.2.3.सामान्य नागरिकों के फीडबैक हेतु समूह चर्चाओं/ बैठकों के दौरान विभिन्न घटकों हेतु निर्धारित प्राप्तांकों का विवरण निम्नानुसार है: 20 %

मापदंड	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक
स्वच्छ सर्वेक्षण के विशय में जागरूकता	2	हां – 2 नहीं – 0
क्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन से आपके गांव की सामान्य स्वच्छता की स्थिति बेहतर हुई है	6	हां – वास्तव में बेहतर हुआ है– कोई शिकायत नहीं – 6 हां – विगत चार वर्षों से स्वच्छता की स्थिति बेहतर – 4 हां – विगत तीन वर्षों से स्वच्छता की स्थिति कुछ बेहतर – 2 कोई परिवर्तन नहीं– 0
क्या ग्राम में ठोस अपशिश्टों के सुरक्षित निपटारे हेतु कोई व्यवस्था है	6	हां – ग्राम के समस्त ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त व्यवस्था – 6 हां – किन्तु ग्राम के समस्त ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं – 4 हां – किन्तु केवल घर स्तरीय कुछ व्यवस्थाएं ही उपलब्ध – 2 कोई व्यवस्था नहीं– 0
क्या ग्राम में तरल अपशिश्टों के सुरक्षित निपटारे हेतु कोई व्यवस्था है	6	हां – ग्राम के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर अपशिष्ट जल के (गंदे पानी) निपटारे हेतु पर्याप्त व्यवस्था – 6 हां – किन्तु ग्राम के समस्त सार्वजनिक स्थलों पर अपशिष्ट जल के (गंदे पानी) निपटारे हेतु पर्याप्त नहीं – 4 हां – किन्तु केवल कुछ घरेलू स्तरों पर जलनिकासी हेतु व्यवस्थाएं उपलब्ध – 2 कोई व्यवस्था नहीं– 0

3.2.4 प्रभावशाली नागरिकों के फीडबैक : – 10 %

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संबंध में ग्राम के प्रभावशील नागरिकों से व्यक्तिक साक्षात्कार किए जावेंगे इन नागरिकों में मुख्यतः निम्न व्यक्ति सम्मिलित होंगेः–

- सरपंच
- पंचायत सचिव
- स्वच्छाग्रही
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मितानिन
- स्कूल शिक्षक

व्यक्तिक साक्षात्कार के दौरान मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर फीडबैक प्राप्त किए जाएंगेः–

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटकों पर जागरूकता
- ग्राम में योजना के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई नीति
- प्रोत्साहन राशि का ग्राम में वितरण
- स्वच्छता सुविधाओं अंतर्गत प्रमुख तकनीकी विकल्प
- स्वच्छता स्थायित्व हेतु व्यवस्था
- स्वच्छता कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव

विभिन्न मापदंडों हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् होगाः–

मापदंड	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक
स्वच्छ सर्वेक्षण के विशय में जागरूकता	**1**	हां – **1** नहीं – **0**
ग्राम में क्रियान्वयित प्रचार–प्रसार गतिविधी	**3**	सामुदायिक उत्प्रेरण (Community Triggering)-**1** ग्राम/शालाओं में दीवार लेखन/चित्रकारी-**1** निगरानी समिति का गठन-**1**
ग्राम में तरल अपशिश्ट प्रबंधन हेतु समुचित व्यवस्था	**3**	नालियों की उपलब्धता-**1** सोक्ता गड्ढों की उपलब्धता-**1** किचन गार्डन/तालाबों की उपलब्धता -**1**
ग्राम में ठोस अपशिश्ट प्रबंधन हेतु समुचित व्यवस्था	**3**	कूड़ादानों की उपलब्धता-**1** खाद गड्ढों की उपलब्धता-**1** कचरा सग्रहण एवं निपटारे की व्यवस्था-**1**

3.2.5.Online app के माध्यम से नागरिकों के फीडबैक : 5 %

विभिन्न मापदंडों हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् होगाः–

परिवारों की संख्या जिन्होने Online app के माध्यम से प्रतिक्रिया दी	प्राप्तांक
जिले के 5 % से अधिक लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की	5
जिले के 3 से 5 % लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की	3
जिले के 1 से 3 % लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की	1
जिले के 1 % प्रतिशत से भी कम लोगों ने प्रतिक्रिया दर्ज की	0

स्वच्छता के मापदंडों पर सेवा स्तरीय प्रगति (MIS) : 35%

स्वच्छता के मापदंडों पर सेवा स्तरीय प्रगति के आंकलन हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा, इस हेतु निम्न घटकों की प्रगति सम्मिलित की जावेगीः–

- जिले का स्वच्छता आच्छादन
- जिले में ओ.डी.एफ. समुदाय की स्थिति अर्थात जिले में ओ.डी.एफ. ग्रामों का प्रतिशत
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जियोटैगिंग
- क्षतिग्रस्त शौचालय – नहीं /जिले में क्षतिग्रस्त शौचालयों का प्रतिशत खुले में शौचमुक्त ग्रामों का प्रतिशत अर्थात जिले में ओ.डी.एफ. सत्यापित ग्रामों का प्रतिशत

विभिन्न मापदंडों हेतु अंको का निर्धारण निम्नवत् होगाः–

मापदण्ड	प्राप्तांक	प्राप्तांको का आवंटन
स्वच्छता आच्छादन का प्रतिशत शौचालय	5	1-20% -1 21-40% -2 41 to 60% -3 61-80% -4 81-100% -5

जिले में ओ.डी.एफ गांवों का प्रतिशत	**5**	**25% से कम -2** **25-50% -3** **51 to 75% -4** **76 to 100% -5**
आ.डी.एफ. ग्रामों के सत्यापन का प्रतिशत	10	1-10% -2 11-25% -4 26-50% -6 51 to 75% -8 76 to 100% -10
क्षतिग्रस्त शौचालयों की उपलब्धता	10	कोई नहीं -10 1-1001 -8 1000-2000 -6 2001-3000 -4 3001-4000 -2 4001-5000 -1 5001 से अधिक -0
शौचालयों की जिओ टैगिंग का प्रतिशत	5	80%से अधिक -5 60% से अधिक किन्तु 80% से कम -4 40% से अधिक किन्तु 60% से कम -3 20% से अधिक किन्तु 40% से कम -2 20%से कम -1

4. विभिन्न स्तरों पर मुख्य भूमिका एवं दायित्व –

जिला स्तरीय दायित्व	• **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम** • **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 पर प्रेस कांफ्रेंस** • **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की बैठक** • **सर्वेक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु ऑडियो/विजुअल, रेडियो, टी.व्ही. प्रिंट मीडिया अभियान** • **क्षेत्रीय चैनल/कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से अभियान** • **संदेश प्रसारण हेतु नवोन्मेषी माध्यम का उपयोग – स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो,** • **स्वच्छाग्रही के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में अंतर्व्यक्तिक संवाद** • **प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का उपयोग** • **सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार** • **सभी ग्रामों में मुनादी**
विकासखण्ड स्तरीय दायित्व	• सभी ग्राम पंचायतों के साथ बैठक करना और उन्हे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के बारे में अवगत कराना • सर्वेक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु ऑडियो/विजुअल, रेडियो, टी.व्ही. प्रिंट मीडिया अभियान • क्षेत्रीय चैनल/कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से अभियान • संदेश प्रसारण हेतु नवोन्मेषी माध्यम का उपयोग – स्वच्छता रथ, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, • स्वच्छाग्रही के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में अंतर्व्यक्तिक संवाद • प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का उपयोग • सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार • सभी ग्रामों में मुनादी
ग्राम पंचायत स्तरीय दायित्व	• ग्राम पंचायतों के सभी पंचों के साथ बैठक करना और उन्हे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 के बारे में अवगत कराना • ग्राम में स्वच्छता की स्थिति बेहतर करने के लिए लोगो को प्रेरित करना • स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की टीम को सर्वेक्षण में सहयोग करना • समुह चर्चा, व्यक्तिगत साक्षात्कार आदि हेतु सर्वेक्षण टीम को सहयोग करना • सर्वेक्षण टीम द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब देना।